

**DIRECTORATE GENERAL, ITB POLICE
ORGANISATION BRANCH**

Inter Office Note

Please refer to the enclosed MHA order no. 45025/05/2016-Pers I Dated 30th June 2016 regarding enhancement age of superannuation of General Duty Medical Officers and Specialists Medical Officers of CAPFs.

2 Since the matter regarding combined recruitments rules for General Duty Medical Officers and Specialist Medical Officers in CPMFs is dealt by the office of ADG(Medical), hence the original copy of the above order is enclosed herewith for further action at your end please.


(R.K. Patariya)
DIG(Org)

Director (Medical), Dte.Gen. ITB Police
ITBP ION No. 1.12015/1/2010-Org - 508

Dated: 06/07/16

Copy to

DIG(Pers) Dte. Genl. ITB Police for information please.


क्र. सं. / Dy. No.	दिनांक / Date
931	6/7/16
डायरेक्टर (मेडिकल), डायरेक्ट (मेडिकल)	Med
उप-डायरेक्टर (मेडिकल) Dy. Director (Medical)	
आस. समि. (ऑफिस) Asst. Comm. (Office)	
डी.डी. (ऑफिस) Dealing Asst.	DS

Copy to FIRs/ICs
for further circulation
26/07/16

(R.K. Patariya)
DIG(Org)

Director (Medical) May kindly see please

Keep copy in instruction file
for
06/07/16


06/07/16

नं. पत्राची	
Content/Date	
दिनांक	
2 UC	
पत्राची	
Address	

1325
02/04/16
सं. 1-21013/पेशन/गर्भ विभाग/2016-7060
केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, नागति०सी० पुलिस,
महानगर, भारत सरकार,
ब्लॉक-02, ब्लॉक 020 पुरम, नई दिल्ली-02

ब्लॉक/1-निल. 020

दिनांक - 18.5.16

// कार्यालय छापन //

सूचना वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागति०सी० पुलिस के पत्र सं-PAO/ITBP/MHA/2016-17/564 दिनांक-04.04.2016 एवं सं-088 दिनांक-28.04.2016 के तहत अवगत करवाया गया है कि सी०सी०एफ० पेशन नियमावली-1972 के नियम 81(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिवाहिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेशन प्रकरण अधिवाहिता की तिथि से 08 माह पूर्व वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को प्राप्त होने आवश्यक है। लेकिन अधिवाहिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेशन प्रकरण समयानुसार वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण अधिवाहिता पेशन प्रकरणों के निपटान एवं पेशनरी जमानों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

2. उपरोक्त संदर्भ में वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागति०सी० पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिवाहिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेशन प्रकरण अधिवाहिता की तिथि से 08 माह पूर्व वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को समय पर सनस्त पेशनरी जमानों का भुगतान किया जा सके। अधिवाहिता पेशन प्रकरणों के साथ निम्नलिखित वस्तावेज भी सलग्न किए जाने आवश्यक हैं:-

- i) BSR Code of the paying branch of the Bank.
- ii) PAN Card No.
- iii) Aadhar No.
- iv) Mobile No.
- v) e-mail address.

3. उपरोक्त संदर्भ में यह भी अवगत करवाया जाता है कि नागति०सी० पुलिस की अधिकतर वाहिनियों/कार्यालयों द्वारा अधिवाहिता पेशन प्रकरण नियमानुसार अधिवाहिता की तिथि से 08 माह पूर्व पेशन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण इन पेशन प्रकरणों को वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को प्रेषित करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रायः यह भी देखने में आ रहा है कि इस कार्यालय द्वारा बार-बार दिशा निर्देश जारी करने के उपरान्त भी अधिकतर पेशन प्रकरणों के साथ आवश्यक/निर्धारित वस्तावेज सलग्न नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण पेशन अनुभाग को इन वस्तावेजों को प्राप्त करने बावत बार-बार संबंधित वाहिनी/कार्यालय से अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है।

4. अतः सनस्त वाहिनियों एवं कार्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अधिवाहिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेशन प्रकरण सनस्त आवश्यक/निर्धारित वस्तावेजों के साथ 08(आठ) माह पूर्व पेशन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि पेशन अनुभाग द्वारा पेशन प्रकरण तैयार कर 08 माह पूर्व वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जा सके। यदि भविष्य में किसी भी वाहिनी/कार्यालय से अधिवाहिता प्रकरण प्राप्त नहीं होता है तो पेशनरी जमानों के भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए लिए संबंधित कार्यालय/वाहिनी जवाबदेह होंगे।

सा मे
उप-महानिरीक्षक(प्रशासन)/उप-सैनानी(प्रशासन), महानिरीक्षालय, नागति०सी० पुलिस।
सनस्त जोनल/केन्द्रीय मुख्यालय/वाहिनियों/प्रशिक्षण केंद्र/आचार विधिकरालय, दिल्ली/समुक्त विधिकरालय -
पन्डीगढ़, डेहरादून/देहरादून विधिकरालय एवं अन्य जॉरनेशन नागति०सी० पुलिस।

(Signature)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(प्रशासन एवं पेशन)

वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को इनके कार्यालय पत्र सं-PAO/ITBP /MHA/2016-17/564 दिनांक-04.04.2016 एवं सं-088 दिनांक-28.04.2016 के संदर्भ में सूचनाएं प्रेषित हैं।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(अभिलेख), केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को इस आशय से प्रेषित है कि आपकी कार्यालय द्वारा जारी अधिवाहिता सूची के अनुसार अधिवाहिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों की सेवा खजाना में आवश्यक इन्जाज पूर्ण करने के उपरान्त अधिवाहिता की तिथि से 08(आठ) माह पूर्व सेवा खजाना पेशन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा करें।
अनुभाग अधिकारी, सेवा अभिलेख-01 से 08, सेवा अभिलेख विंग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, नागति०सी० पुलिस को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
सहायक सैनानी(कार्यालय), प्रशासन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

F.No.45025/05/2016-Para.1
 Government of India
 Ministry of Home Affairs
 Police-II Division/Para I Section

19/11
 6/7/16



North Block, New Delhi
 Dated the 10th June, 2016
ORDER

The President has been pleased to enhance the age of superannuation of the specialists of Non-Teaching and Public Health sub-cadres of Central Health Service (CHS) and General Duty Medical Officers of CHS to 65 years with immediate effect. A copy of Ministry of Health and Family Welfare's order No. A.12034/1/2014-CHS V dated 31st May, 2016 is enclosed.

2. Accordingly the undersigned has been directed to inform that with the approval of Hon'ble Union Home Minister, the age of superannuation for General Duty Medical Officers and Specialists Medical Officers of CAPFs & AR is also enhanced from 60 to 65 years with immediate effect i.e. 30.06.2016.

3. This issues with the concurrence of IFD (MHA) vide their Dy.No 3355974 dated 30.06.2016.

Team - 4

[Handwritten signature]
 5/7

107
 6/7/16

19/11
 6/7/16

[Handwritten signature]
 (Harish Chander)
 Director (Para.1)
 Telefax No.2309396/7

- To.
1. DsG : BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG & AR
 2. ADG(Med), CAPFs, NSG & AR.

- Copy to:
1. PS to HM
 2. PS to MoS(R)
 3. PPS to HS
 4. PPS to AS(P)
 5. PPS to JS(P-II)
 6. PS to Dir(Pers)
 7. PS to Dir(PF)
 8. PPS to Dir (Pers.1)

Dir (org)
 Dir (Admin)
 5/7

सं०-11-36012 / रजि०कण्ड / बीमा क्लेम / 2017 - 324-424
महानिदेशालय, भा० ति० सी० पुलिस
गृह मंत्रालय / भारत सरकार
केंद्रीय कार्यालय परिसर
खण्ड-2, लोदी रोड, नई दिल्ली-03

दिनांक- 24/3/17

कार्यालय धापन

भारत विभक्त सीमा पुलिस बल द्वारा जवानों के कल्याणार्थ दिनांक 09.03.2017 से 08.03.2018 तक एक वर्ष के लिए इच्छुक पदाधिकारियों का सामूहिक जीवन बीमा, बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। सामूहिक जीवन बीमा हेतु देय लाभांश रु. 10,00,000 (दस लाख) का रिस्क कवरेज किसी भी प्रकार की मृत्यु के मामले पर प्रदान किया जायेगा। जिसका वार्षिक प्रीमियम रुपये 1840/- प्रति व्यक्ति है जो कि बल कर्मियों के माह मार्च 2017 के वेतन से कटौती किया जायेगा, इस बीमा योजना के अन्तर्गत भा. ति. सी. पुलिस के वे सभी पदाधिकारी बीमित होंगे जिनका कें०अ०का० द्वारा माह मार्च 2017 के वेतन से अंशदान कटौती किया जायेगा। उक्त योजना के अनुसार 09 मार्च 2017 से 08 मार्च 2018 तक किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण मृत पदाधिकारियों के उत्तराधिकारियों को निम्नानुसार बीमा लाभांश देय किया जायेगा :-

क) किसी भी प्रकार की मृत्यु पर देय लाभांश (Inclusive Suicidal cases)- रुपये 10 लाख

2. उक्त लाभांश के लिए इण्डिया फर्स्ट लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड के दावा फॉर्म महानिदेशालय को दो दो सत्यापित प्रतियों में निम्नानुसार भेजना अनिवार्य है:-

1) किसी भी प्रकार की मृत्यु में-

क) इण्डिया फर्स्ट लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड क्लेम फार्म सेनानी / कार्यालयकक्ष से हस्ताक्षरित।

ख) मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (Attested copy of Death Certificate)

3 इस संदर्भ में यह भी अवगत कराया जाता है कि नये भर्ती कर्मियों का वार्षिक प्रीमियम Pro-rata के अनुसार निम्न होगा जिसकी कटौती करके इस कार्यालय को समय से भिजवाने की कृपा करे :-

New Members - Month of joining (From First to Last Day of the Month)	Basic Premium	Service Tax	Total Premium Amount
09 March to 08 April -2017	1600	240	1840.00
09 April to 08 May -2017	1466.66	219.99	1687
09 May to 08 June -2017	1333.33	199.99	1533
09 June to 08 July -2017	1199.97	179.99	1380
09 July to 08 August -2017	1066.64	159.99	1227
09 August to 08 September -2017	933.31	139.99	1073
09 September to 08 October -2017	799.98	119.99	920
09 October to 08 November -2017	666.65	99.99	765
09 November to 08 December -2017	533.32	79.99	613
09 December 2017 to 08 January - 2018	399.99	59.99	460
09 January 2018 to 08 February -2018	266.66	24.99	292
09 February to 08 March - 2018	133.33	19.99	153

सं. 11-36012/रजि.कण्ड/बीमा क्लेम/2017-324-424

1001/1001/1001

3



...लगातार पृष्ठ सं. 56 पृ. 28/3/17
पृष्ठ सं. आ. ति. (सी०/हि०) एका-2/जई मिलित/17
उत्तराधिकारि:-
1) स्थापना - 6, एकापना - 5 हैजि. समा हेतु
2) केला जाला से कायस्थ कर्मचारी हेतु
3)

No. SWD (C) 5-1/2015
Government of Himachal Pradesh
Sainik Welfare Department

143
09/08/15
2/2/15

The Secretary (SWD) to the
Government of Himachal Pradesh

To

All the Deputy Commissioner in
Himachal Pradesh.

Sh. TK

Dated: Shimla-171002 the

Smt. Purnima 1773
14th August 2015

Subject: - Regarding Enhancement of ex-gratia grant paid from the Chief
Minister's Sainik Welfare Fund.

Sir,

In continuation of this department letter's No. GAD-E(C) 8-
1/99 dated 01st February 2000 and 18th July 2000, wherein the rates of ex-
gratia grant from the Himachal Pradesh Chief Minister's Sainik Welfare
Fund were notified.

The matter regarding revision of ex-gratia to the next of kin of
the soldiers/paramilitary personnel belonging to State of Himachal Pradesh
was under consideration of the Government for quite some time. Now, after
careful consideration of the matter, it has been decided to enhance the rates
of ex-gratia etc. from 25-05-2015 in the following manner -

1. An ex-gratia @ Rs 5,00 Lac to the next of Kin of
battle causality.
2. Disabled soldiers during operation @ Rs. 1.50 Lac
(50% disability or above) and Rs. 75,000/- below 50%
disability).
3. Members of Para Military Forces, who die in active
operations @ Rs. 1.50 Lac.
4. Physical Causality @ Rs. 35,000/-.

The other terms and conditions as laid down in the letter(s)

referred above will remain unchanged

1566
rdst no 16-4 (R)/99-SWD-DHMR-1701/25- August 15
y to! - All by Dir. (order information) &
Further action please.
ZSWD HP

Yours faithfully,

Dr. M.
Special Secretary (SW) to the
Government of Himachal Pradesh

Cont.....2

Office of Director
Dir. of Sainik Welfare

अभिलेख
अंश

2016

क्रमांक	
दिनांक	
प्रधान अधिकारी	

सं 1-31013/पेंशन/गाई मिसिल/2016-7060
 केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस,
 गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
 ब्लाक-9ए, आर0 कै0 पुरम, नई दिल्ली-68

डाक/ई-मेल द्वारा


दिनांक :- 18.5.16

// कार्यालय ज्ञापन //

क्षुपया वेतन एवं लेखा कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस के पत्र सं0-PAO/TTBP/MHA/2016-17/564 दिनांक-04.04.2016 एवं सं0-898 दिनांक-28.04.2016 के तहत अवगत करवाया गया है कि सी0सी0एस0 पेंशन नियमावली-1972 के नियम 81(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिवाषिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेंशन प्रकरण अधिवाषिता की तिथि से 08 माह पूर्व वेतन एवं लेखा कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को प्राप्त होने आवश्यक है। लेकिन अधिवाषिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेंशन प्रकरण समयानुसार वेतन एवं लेखा कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण अधिवाषिता पेंशन प्रकरणों के निपटान एवं पेंशनरी लाभांशों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

2. उपरोक्त संदर्भ में वेतन एवं लेखा कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिवाषिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेंशन प्रकरण अधिवाषिता की तिथि से 08 माह पूर्व वेतन एवं लेखा कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को समय पर समस्त पेंशनरी लाभांशों का भुगतान किया जा सके। अधिवाषिता पेंशन प्रकरणों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी सलग्न किए जाने आवश्यक है।

- i) BSR Code of the paying branch of the Bank.
- ii) PAN Card No.
- iii) Aadhar No.
- iv) Mobile No.
- v) e-mail address.



3. उपरोक्त संदर्भ में यह भी अवगत करवाया जाता है कि भा0ति0सी0 पुलिस को अधिकतर वाहिनियों/कार्यालयों द्वारा अधिवाषिता पेंशन प्रकरण नियमानुसार अधिवाषिता की तिथि से 08 माह पूर्व पेंशन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण इन पेंशन प्रकरणों को वेतन एवं लेखा कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को प्रेषित करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रायः यह भी देखने में आ रहा है कि इस कार्यालय द्वारा बार-बार दिशा निर्देश जारी करने के उपरान्त भी अधिकतर पेंशन प्रकरणों के साथ आवश्यक/निर्धारित दस्तावेज सलग्न नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण पेंशन अनुभाग को इन दस्तावेजों को प्राप्त करने बावत बार-बार संबंधित वाहिनी/कार्यालय से अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है।

4. अतः समस्त वाहिनियों एवं कार्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अधिवाषिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के पेंशन प्रकरण समस्त आवश्यक/निर्धारित दस्तावेजों के साथ 08(आठ) माह पूर्व पेंशन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि पेंशन अनुभाग द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर 08 माह पूर्व वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जा सके। यदि भविष्य में किसी भी वाहिनी/कार्यालय से अधिवाषिता प्रकरण समय से प्राप्त नहीं होता है तो पेंशनरी लाभांशों के भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए लिए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष जदाबदेह होंगे।

[Signature]
 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(प्रशासन एवं पेंशन)

- सेवा में,
1. उप-महानिरीक्षक(प्रशासन)/उप-सेनानी(प्रशासन), महानिदेशालय, भा0ति0सी0 पुलिस।
 2. समस्त जूनियर/क्षेत्रीय मुख्यालय/वाहिनियों/प्रशिक्षण केन्द्र/आधार चिकित्सालय, दिल्ली/संयुक्त चिकित्सालय - चण्डीगढ़, देहरादून/रेफरल चिकित्सालय एवं अन्य फॉरमेशन भा0ति0सी0 पुलिस।

प्रतिलिपि:-

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को उनके कार्यालय पत्र सं0-PAO/TTBP /MHA/2016-17/564 दिनांक-04.04.2016 एवं सं0-898 दिनांक-28.04.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(अभिलेख), केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को इस आशय से प्रेषित है कि आपके कार्यालय द्वारा जारी अधिवाषिता सूची के अनुसार अधिवाषिता पर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों की सेवा पंजिका में आवश्यक इन्फार्मेशन पूर्ण करने के उपरान्त अधिवाषिता की तिथि से 08(आठ) माह पूर्व सेवा पंजिका पेंशन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा करें।
3. अनुभाग अधिकारी, सेवा अभिलेख-01 से 06, सेवा अभिलेख विंग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0 पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक सेनानी(कार्यालय), प्रशासन अनुभाग, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(प्रशासन एवं पेंशन)

6 वीं